पत्रांक–भवन/बजट–66–योजना (सामान्य प्रशासन विभाग)–03/2019–20... 2908 (अ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 24/3/26

विषय– सामान्य प्रशासन विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु **वित्तीय वर्ष 2025–26** में कुल **₹ 72,18,646/–(बहत्तर लाख अठारह हजार छः सौ छियालीस रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की निम्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कुल **₹ 72,18,646/–(बहत्तर लाख अठारह हजार छः सौ छियालीस रूपये)** मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2025–26** में प्रदान की जाती है :–

क्रमांक	भवन प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0 संख्या/पत्रांक/दिनांक	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, शिवहर	30413	वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना स्किम के अंतर्गत अनुमंडल कार्यालय, शिवहर के परिसर में प्रस्तावित (Record Room and Meeting Hall) के निर्माण कार्य	21377/ 17.11.23	70,31,357/- (सत्तर लाख इकतीस हजार तीन सौ संतावन रूपये)
2.	भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	386 अनु./ 14.02.26	**Construction of Proposed G+4 Multipurpose Hall at Collectorate Office District Muzaffarpur के निर्माण कार्य के संदर्भ में जिला समाहरणालय, मुजफ्फरपुर में अधिष्ठापित सोलर पॉवर प्लांट को हटाकर अतिथि गृह में लगाने हेतु**	999/ 17.01.25	1,87,289/- (एक लाख सतासी हजार दो सौ नवासी रूपये)
			कुल योगः–		**72,18,646/–**

(बहत्तर लाख अठारह हजार छः सौ छियालीस रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–010–कार्यालय भवन–लघु शीर्ष–051–निर्माण उपशीर्ष–0104–समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण (सामान्य प्रशासन विभाग) **विपत्र कोड–03–4059010510104** के विषयशीर्ष–53–मुख्य कार्य–0104.53.01–मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2025–26** में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6 स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एसम. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।